>

Title: Alleged exploitation of Indian labourers working in various companies in Middle-East countries.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखने का मुझे अवसर प्रदान किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद के गया जिले के टिकारी प्रखण्ड के गांव आमाकुंआ, पोस्ट बारा का एक नौजवान रंजीत कुमार सिंह पिछले कई महानों से दुबई में फंसा हुआ है। यह नौजवान दुबई के इनर प्लास्टिक लिमिटेड में असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर 16.08.2005 से काम कर रहा था। कम्पनी के द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण और इसे छुट्टी नहीं दिये जाने के कारण इस नौजवान ने उस कम्पनी से 28 फरवरी, 2011 को त्याग-पत्र दे दिया, लेकिन कम्पनी ने इस नौजवान के त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं करके उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। उसका वेतन और सारे भत्ते बन्द कर दिये हैं। इस नौजवान रंजीत कुमार सिंह का पासपोर्ट नम्बर एफ1811623 है। यह नौजवान विगत फरवरी माह से दुबई में फंसा हुआ है और आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना से ग्रस्त है। इसके पिता ईश कुमार सिंह ने और इस नौजवान ने इंडियन एम्बेसी में और यूनियन काउंसिल फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई यथोचित कार्रवाई नहीं हुई है। यह नौजवान भारत का एक नागरिक, हिन्दुस्तान का एक नौजवान दुबई में फंस कर प्रताड़ना झेल रहा है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से यह मांग है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय यथोचित कार्रवाई करे और इस नौजवान को सुरक्षित स्वदेश लाने का शीघ्र से शीघ्र उपाय करे, इन्तजाम करे।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Hansraj G. Ahir.

You are allowed to raise only one matter.